न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 53/2012

अपीलान्ट

1. मगनसिंह पुत्र हिन्दुजी जाति राव निवासी गोलिया दानवाव तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही के का0मु0
   - 1.1 भंवरीदेवी पत्नी मगनसिंह
   - 1.2 आनन्दसिंह पुत्र मगनसिंह
   - 1.3 झंकारसिंह पुत्र मनगसिंह जाति राव निवासीगण गोलिया कारोली तहसील आबूरोड़
   - 1.4 रेखा पुत्री मगनसिंह पत्नी भगवतसिंह जाति राव निवासी रोवाडा तहसील शिवगंज
   - 1.5 उर्मिला पुत्री मगनसिंह पत्नी दलपतसिंह जाति राव निवासी कैलाशनगर तहसील शिवगंज
   - 1.6 सविता पुत्री मगनसिंह पत्नी मालमसिंह जाति राव निवासी भीनमाल
   - 1.7 खुशलता पुत्री मगनसिंह पत्नी भरतसिंह जाति राव निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज
   - 1.8 ममता पुत्री मगनसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति राव निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज
   - 1.9 डिम्पल पुत्री मगनसिंह जाति राव निवासी गोलिया कारोली तहसील आबूरोड़

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. अर्जुनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राव निवासी गोलिया दानवाव तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आबूरोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री हेमचन्द्र शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मदनसिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/5/2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2008 बअनवान मगनसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कारोली के गत खसरा नम्बर 267, 268, 269 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट व धनजी भाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.12.1972 के द्वारा क्रय की गई। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 346, 347, 348 कायम हुए। जिसमें अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहा। उक्त विक्रय को सिलिंग कार्यवाही में सद्भाविक हस्तान्तरण नहीं माना गया तथा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 25.11.1976 को वादी को विधिवत रूप से खसरा नम्बर 346 व 521/348 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा अपीलाण्ट से उसकी कमाण्ड प्रिमीयम राशि वसूल कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 196 द्वारा अपीलाण्ट को खातेदार दर्ज किया गया। जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा निगरानी संख्या 2/1998 में दिनांक 22.03. 1999 को निर्णय पारित करते हुए उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया तथा निरस्तीकरण का यह आधार लिया गया कि वक्त आवंटन अपीलाण्ट राजकीय सेवा में सेवारत था। इस कारण आवंटन विधि विरूद्ध हुआ है। अपीलाण्ट को जो आवंटन किया गया, वह वर्ष 1976 में किया गया तथा राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों को भूमि आवंटन नहीं करने बाबत प्रावधान वर्ष 1982 में जोडे गए। इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी नियम लागू नहीं होता है। जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करना आरम्भ कर दिया गया, तब अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण जवाबदावा का अवसर बन्द किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो गवाह प्रस्तुत किए, उनसे प्रतिवादी द्वारा सारभूत जिरह नहीं किये जाने को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाण्ट का वाद डिक्री करना चाहिए था, जो नहीं किया गया एवं विधिक स्थिति के प्रतिकूल जाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की। प्रतिवादी पक्ष की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इस कारण अपीलाण्ट का वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

स्वतः डिक्री योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य विहिन प्रतिरक्षा पर अवांछित रूप से रिलाय कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। इन समस्त कारणों से अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री सादिर करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2007 (3) पेज 1339, आर0आर0डी0 1999 पेज 597, डी0एन0जे0 (राज.) 1997 पेज 632, ए0आई0आर0 1994 (एच.सी.) पेज 1128 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील में दर्शित आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। प्रकरण में वाद एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई – (1) आया वादी वाद पद संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने की डिक्री ..... – जिम्मे वादी। (2) आया प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी से वादी को बेदखल नहीं करने की डिक्री ..... – जिम्मे वादी। (3) आया प्रतिवादीगण संख्या 1 पर वादी का कब्जा है व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को अतिक्रमी माना गया है एवं विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी का 30 वर्ष से विवादित आराजी पर अतिक्रमी रहा है, जो अनुतोष पाने का अधिकारीनहीं है, जिसकी डिक्री ..... – जिम्मे प्रतिवादीगण। (4) अनुतोष। उक्त तनकीयात में से तनकी संख्या 1 व 2 वादी को सिद्ध करनी थी, जिसे सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में गवाह मंगनसिंह पुत्र हिन्दूसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 प्रस्तुत किए। प्रतिवादी की ओर से जिरह नहीं करने के कारण जिरह का अवसर बन्द किया जाकर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा निगरानी में जो निर्णय पारित किया गया है, वह नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन मानते हुए किया गया, जबकि वक्त आवंटन ऐसा कोई नियम लागू ही नहीं था, जो सरकारी कर्मचारी को भूमि आवंटन करने से रोकता हो। इस स्थिति में जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा इस अपील के जरिये निर्विवादित रूप से जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई है तथा हस्तगत अपील के जरिये जिला कलेक्टर के निर्णय को अपास्त कराने की मंशा भी प्रकट हुई है। यदि अपीलाण्ट को जिला कलेक्टर के निर्णय से किसी प्रकार का शिकवा था, तो उन्हे विधि अनुसार जिला कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध अपील की कार्यवाही की जानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

थी, जो नहीं की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय अवश्य है, किन्तु हस्तगत प्रकरण पर पूण रूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त न्यायिक सिद्धान्त आवंटन से सम्बन्धित है, जो जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष विचाराधीन निगरानी याचिका में सहायक सिद्ध हो सकते थे, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा इन न्याय सिद्धान्तों का सम्यक उपयोग नहीं किया गया। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 17 (1) के अन्तर्गत सिलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का आवंटन नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत उपनिवेशन अधिनियम के तहत बने राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत किये जाने के प्रावधान है। इस नियम के नियम 5 के अन्तर्गत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति, विस्थापित व्यक्तियों तथा पंचायत एवं पंचायत समितियों को भूमि आवंटन की जा सकती है। नियम 3(6)(ए) में परिभाषिक भूमिहीन व्यक्ति में राज्य सेवक को भूमिहीन नहीं माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नियम के अन्तर्गत राज्य सेवक को सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा आवंटन को अपास्त किया है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2008 बअनवान मगनसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2012, को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही